मुख्य क्रियाकलाप और उपलब्धियां
(जून, 2021 माह की संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नवत् है-)

1. **फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति**

   1.1 लगभग 1.5 लाख आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (एबी- एचडब्ल्यूसी) को अनुमोदन प्रदान किया गया है। से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एचडब्ल्यूसी पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 23 जून, 2021 तक इनमें से 76363 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र परिचालित किए जा चुके है।

2. **विधायी और विनियामक उपाय:**

   2.1 दिनांक 8 जून, 2021 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें खाद्य व्यवसायियों द्वारा खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पावतियों/ इनवॉइस/ नगद मैमो/ बिल आदि पर एफएसएसएआई लाईसेंस/ पंजीकरण संख्या का उल्लेख किए जाने को अनिवार्य किया गया है।

   2.2 मल्टी सोर्सड् एडीबल वेजिटेबल ऑयल (एमएसईवीओ) के उत्पादन के लिए सरसों के तेल के मिश्रण के निषेध के संबंध में दिनांक 8 जून, 2021 को एक आदेश जारी किया गया है।

   2.3 कोविड- 19 की मौजूदा स्थितियों के दौरान खाद्य व्यवसाय प्रचालकों को रियायत देने के संबंध में एफएसएस एक्ट, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत दिनांक 23 जून, 2021 को एक आदेश जारी किया गया है।

   2.4 "आयात नीति संबंधी सामान्य नोट्स" के पैरा 13 में विन्हित प्रावधान में परिशोधन/ संशोधन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को सीओटीपीए, 2003 (पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियमावली, 2008) और ई-सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के अंतर्गत आयात से संबंधित सूचनाएं दी गई ताकि नई विदेश व्यापार नीति, 2021-26 में आवश्यक बदलाव किए जा सकें।

3. **विविध**

   3.1 एचआईवी/ एड्स के संबंध में दिनांक 8 जून से 10 जून, 2021 तक न्यूयार्क में सयुंक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक (यूएनजीए.एचएलएम) का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन हाईब्रिड मोड- व्यक्तिगत और वर्चुअल दोनों रूप में किया गया।माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एक घोषणा को अपनाया गया जिसमें वर्ष 2030 तक जन स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में एड्स की समाप्ति के एसडीजी 2030 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज़न औक दृष्टिकोण सम्मिलित है.

   3.2 कोविड- 19 के बीच, विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफार्मों के जरिए स्वास्थ्यवर्धक पोषण, स्थानीय सब्जियों की व्यंजन विधि और अन्य अद्यतन जानकारी के संबंध में विभिन्न सृजित विषय वस्तुओं के माध्यम से जन जागरूकता सामग्रियों का प्रचार-प्रसार किया गया। कुल 30 सृजनात्मक सामग्रियों को तैयार किया गया। एफएसएसएसएआई में सही जानकारी के लिए खाद्य सुरक्षा एवं पोषण से संबंधित "मिथक बनाम तथ्य" पर एक विशेष सीरीज तैयार की गई। स्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क के लिए लोगों को सही खानपान तथा योगाभ्यास के लिए

प्रोत्साहित करते हुए सोशल मिडिया मंचों के जरिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, अंतराष्ट्रीय योग दिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण अवसर मनाए गए।

3.3 माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने दिनांक 16 जून, 2021 को टीबी रोकथाम को बढ़ावा देने संबंधी वैश्विक अभियान पर उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया।

3.4 विरल रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार की उच्च लागत को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक जन-सहयोग निधियन हेतु दिनांक 17 जून, 2021 को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। विचार विमर्श के दौरान अनेक पीएसयू ने कंपनी अधिनियम, 2013 की सातवीं अनुसूची में विरल रोग के विषय को शामिल करने की जरूरत को रेखांकित किया ताकि उन्हें सीएसआर निधियों से विरल रोगों के वित्त पोषण में सुविधा प्राप्त हो सके। कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के लिए यह मामला कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

3.5 माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24 जून, 2021 को **"टीबी मुक्त भारत"** के साझेदारों की बैठक का आयोजन किया गया।